न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 37/20 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2020/00154

अनवान्

1. श्री गोकलसिंह मुतबन्ना चन्दनसिंह जी जाति राजपूत, आयु 57 वर्ष, निवासी दोवड़ाई (भानसोल), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०), हाल निवासी– प्रतापनगर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)

.............प्रार्थी

बनाम

1. श्री निर्भयसिंह पिता कालुसिंह जी दरोगा जाति राजपूत, आयु 46 वर्ष, निवासी रेला का कुआ, दोवड़ाई (भानसोल), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री प्रतापसिंह पिता नानुसिंह जी दरोगा जाति राजपूत, आयु 45 वर्ष, निवासी रेला का कुआ, दोवड़ाई (भानसोल), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्री रणजीतसिंह पिता कालुसिंह जी दरोगा जाति राजपूत, आयु 40 वर्ष, निवासी रेला का कुआ, दोवड़ाई (भानसोल), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. श्री राजेन्द्रसिंह पिता प्रतापसिंह जी दरोगा जाति राजपूत, आयु 25 वर्ष, निवासी रेला का कुआ, दोवड़ाई (भानसोल), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. श्री पर्वतसिंह पिता प्रतापसिंह जी दरोगा जाति राजपूत, आयु 23 वर्ष, निवासी रेला का कुआ, दोवड़ाई (भानसोल), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. श्री गोटूसिंह पिता भेरूसिंह जी दरोगा जाति राजपूत, आयु 20 वर्ष, निवासी रेला का कुआ, दोवड़ाई (भानसोल), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. श्री प्रकाश जोशी पिता गेगाराम जी जोशी, आयु वयस्क, निवासी मागथला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. श्री गणेश डाँगी पिता नामालुम, जाति डाँगी, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री देवराम डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री दिलीप वैष्णव, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 6
3. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता विपक्षी सं. 7 से 8

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 28.10.2024

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा मोटीखेडी पटवार हल्का महुडा की आराजी नम्बर 108, 109, 112, 134, 13[illegible] 137, 1139/130, 1141/133 किता 9 रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा [illegible] राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में मुझ प्रार्थी एवं मेरी माता मु. वदनकुंवर बेवा चन्दनसिंह के नाम पर संयुक्त खाते में हक से दर्ज है। माता मु. वदनकुंवर का निधन हो चुका है जिनका एकमात्र विधिक वारिस मैं प्रार्थी हूँ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

2. यहकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का मैं प्रार्थी खातेदार काश्तकार हूँ और अपनी माता मु. वदनकुंवर का एकमात्र वारिस भी मैं प्रार्थी होकर कुलिया कृषि भूमियों पर अपने परिवारजन सहित काबिज होकर निरन्तर बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग कर रहा हूँ। उक्त वर्णित जमीन में विपक्षीगण अथवा अन्य किसी का कोई हक व अधिकार नही है। लेकिन मैं प्रार्थी वर्तमान में अपने परिवार सहित बाहर निवास कर रहा हूँ जिसका नाजायज फायदा उठाकर विपक्षी संख्या 1 से 6 जो खनन माफिया गिरोह का सदस्य होकर धनबल एवं भुजबल के आधार पर दादागिरी से मेरी जमीन को हड़पने की गरज से उक्त कृषि भूमि में से आराजी नम्बर 112 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा में अनाधिकार रूप से प्रवेश कर जबरन अतिक्रमण कर विपक्षी संख्या 7, 8 जो ठेकेदार है, के जरिए जे०सी०बी मशीनों से अवैद्य रूप से खनन करवाना शुरू कर दिया। जिसकी जानकारी दिनांक 13.07.2020 को गाँव में रहने वाले मेरे परिवार के लोग राजेन्द्रसिंह, देवीसिंह, हरिसिंह जो मेरी जमीन की सार सम्भाल करते है, को होने पर इन लोगों विपक्षीगण को मेरी जमीन पर खनन कर मिट्टी ले जाने मना किया लेकिन ये विपक्षीगण नहीं माने और आराजी नम्बर 112 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा कृषि भूमि पर निरन्तर खनन कराना चालु रखा और अवैद्य रूप से खनन कर लगभग 05 लाख रूपये कीमत की करीब 80 ट्रीप डम्पर मिट्टी भरकर चोरी कर ले गये। मेरे परिवारवालों द्वारा मुझ प्रार्थी को इस बारे में सुचना देने पर मैने गाँव आकर मौके पर जाकर विपक्षीगण को मेरी जमीन पर खनन करने से मना किया तो भी ये लोग नहीं माने और वर्तमान में भी विपक्षीगणों द्वारा खनन कार्य कराना चालु करा रखा है और मिट्टी को डम्परों में भर–भरकर ले जा रहे है। इसके अलावा मेरी जमीन पर 100 वर्षों पुराना एक आम का वृक्ष था जिसकी जड़े भी इन लोगों ने जे०सी०बी मशीन से खुदवा दी जिससे आम के पेड़ की सुखने जैसी स्थिति हो गई है तथा कांटो व थौहर की बाड़ को जे०सी०बी० से नष्ट कर दी और पत्थर के कोट को भी करीब 200 फीट तक गिरा दिया। जबकि विपक्षीगण का मेरी इस जमीन में या इस जमीन के आस पास की जमीनों में कोई हक अधिकार नही है और न ही पूर्व कभी हक अधिकार रहा है। इसलिये मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्ध तत्काल अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराकर खनन कार्य को रूकवाने का अधिकारी हूँ इसलिये माननीय न्यायालय आपमें यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

3. यहकि मुझ प्रार्थी का मजबूत प्राइमाफैसी कैस है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित जमीन मुझ प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की है जिसमें विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नही है। फिर भी विपक्षीगण नाजायज फायदा उठाकर मेरी जमीन पर जोर जबरदस्ती खनन करवा रहे है और मिट्टी डम्परों में भरकर ले जा रहे है और मना करने पर भी विपक्षीगण नही मान रहे है। करीब 05 लाख रूपये कीमत की मिट्टी खोद कर चोरी कर ले गये है। 100 वर्ष पुराने आम के पेड़ की जड़ें खोदकर पेड़ को नुकसान पहुँचाया और बाड़ को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

नष्ट कर दी और 200 फीट लम्बे पत्थरो के कोट को गिरा दिया जिससे भी मुझ प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है और विपक्षीगण द्वारा कराये जा रहे अवैद्य खनन से मेरी जमीन में बडे–बडे गहरे खडडे हो गये है और जमीन की उपजाऊता खतम हो गई है। विपक्षीगण के कृत्य से मौके पर हर समय अशांति का माहोल बना हुआ होकर किसी भी प्रकार की जनहानि हो सकती है। इसलिये मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूँ कि विपक्षीगण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या दो में वर्णित कृषि भूमि आराजी नम्बर 112 अथवा अन्य आराजीयात के किसी भी भू भाग पर किसी प्रकार से खनन कार्य न तो स्वयं करे एवं न ही अन्य किसी के मार्फत करावें, कच्चा एवं पक्का निर्माण नहीं करे, मुझ प्रार्थी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायें, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, न किसी प्रकार की मशीनरी लगावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नही है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थी को अतुलनीय अपरिमित क्षति एवं हानी होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है।

4. यहकि विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 13.07.2020 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण ने वादगत भूमि पर जबरन प्रवेश कर खनन कार्य कराना प्रारम्भ किया तथा मना करने पर मरने मारने पर उतारू हुए, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

5. अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि विपक्षीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, आराजी नम्बर 112 या अन्य आराजीयात पर विपक्षीगण किसी भी प्रकार से खनन कार्य न तो स्वयं करे, न ही अन्य के मार्फत करावें, न किसी प्रकार की मशीनरी स्थापित करे, प्रार्थी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावें, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, प्रार्थी को बेदखल नही करे, कब्जा नही करे, प्रवेश नही करे, कच्चा/पक्का निर्माण नही करे, मिट्टी नही ले जावें, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे, मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 7, 8 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नही करने पर जवाब का अवसर बन्द किया जा चुका हैं। विपक्षी सं. 1 से 6 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि यहकि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या तीन में वर्णित समस्त कथन गलत होकर अस्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

क्योंकि बाद वर्णित कुलिया कृषि भूमियों पर प्रार्थी अथवा मु० वदनकुंवर बेवा चन्दनसिंह का कभी कोई हक अधिकार कब्जा भुगत नहीं रहा है और न ही वर्तमान में हैं। वास्तविकता तो यह है कि वादगत कुलिया कृषि भूमिया विगत 100 वर्षों से भी अधिक समय से हम विपक्षीगण के मौरूसान तथा हमारे मौरूसान के निधनोपरान्त उनके वारिसान और हम विपक्षीगण के कब्जे उपयोग उपभोग में पीढ़ी दर पीढी चली आ रही है तथा वर्तमान में हम विपक्षीगण ही अपने परिवारजन सहित इन कृषि भूमियों पर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करते आ रहे है और हमारे मौरूसों एवं हम विपक्षीगण ने पीढी दर पीढ़ी इस भूमि पर लाखों रूपयों की लागत लगाकर एवं परिवार सहित सख्त परिश्रम कर कुलिया कृषि भूमि को उपजाऊ बनाकर आवादान योग्य की है और निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक अपनी कृषि भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं और हमारे पूर्वजों के द्वारा ही इस भूमि पर आम सहित अन्य कई फलदार एवं छायादार वृक्ष लगाये गये और अपनी संतान की तरह ही उनकी सार सम्भाल एवं देखरेख करते हुए बड़े किये गये जो वर्तमान में विशालकाय पेड़ बने गये है जिन सभी फलदार एवं छायादार वृक्षों का हमारे मौरूस एवं हम विपक्षीगण निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा हमारे परिवार की आजीविका प्रमुख स्त्रोत भी उक्त कृषि भूमि पर होने वाली पैदावार ही हैं और इससे ही हमारा व हमारे परिवारजनों का भरण पोषण होता रहा है और वर्तमान में भी हो रहा है। किन्तु प्रार्थी व इसके परिवार के लोग राजनैतिक रूप से काफी प्रभावशाली होकर धनाढ्य व्यक्ति होने से साठ गाठ कर हमारी कुलिया जमीन को अपने पक्ष में आवंटन करवा ली। जबकि इस भूमि पर हमारे मौरूस एवं हमारे अलावा प्रार्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति का पलभर के लिये इन्च मात्र भूमि पर भी कब्जा अधिकार नही रहा हैं। वर्तमान में उक्त भूमियों काफी विकसित एवं आवादान योग्य होने से तथा जमीन की कीमतों में भारी उछाल आ जाने से प्रार्थी के मन में लोभ लालच की भावना जाग्रत हो गई है तथा प्रार्थी ने लोभ लालच के वशीभूत होकर हमसे हमारी भूमियों को हथियानें की बदनियति से सभी वास्तविक एवं सही तथ्यों को छूपाते हुए यह गलत, मनगढन्त, मिथ्या एवं कपोल कल्पित तथ्यों पर आधारित मुकदमा हमारे विरूद्ध प्रस्तुत दिया है जिसमें प्रार्थी को कभी भी सफलता हासिल नही होगी और प्रार्थी का हस्तगत प्रकरण अन्ततः सव्यय खारिज होगा। ऐसी अवस्था में प्रार्थी हम विपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नही है।

7. यहकि प्रार्थी का कोई प्राइमाफैसी केस नही है और न ही सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि उक्त वर्णित कृषि भूमिया विगत 100 से अधिक वर्षों से अर्थात प्रारम्भ से ही हमारे मौरूस एवं हमारे मौरूसों के पश्चात् उनके वारिसानों एवं हम विपक्षीगण पीढी दर पीढी शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा हम विपक्षीगण को उक्त कृषि भूमियों हमारे मौरूसों से विरासत में प्राप्त हुई है जिस पर हम विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

अपने–अपने परिवारजनों सहित शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है और काफी लागत लगाकर भूमियों को विकसित की है और मौसमवार फसलो की बुवाई कर पैदावार ले रहे है जिसमें प्रार्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार नहीं रहा है और न ही प्रार्थी या इसके परिवार के लोग इस जमीन पर आये है। लेकिन प्रार्थी अब लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर इस मिथ्या मुकदमे की आड़ लेकर हमसे हमारी बहुमुल्य भूमियो (जो हमें हमारे मौरूसान से विरासत में प्राप्त हुई है) को हड़पना चाह रहा है और इसी गरज से इस तरह के उल जलुल कथन कर यह मिथ्या मुकदमा माननीय न्यायालय आपमें प्रस्तुत कर दिया है। जबकि इस जमीन के इन्च मात्र भू भाग पर भी प्रार्थी या इसके परिवार का कभी कोई कब्जा अधिकार नही रहा है और न ही वर्तमान में हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थी हम विपक्षीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नही है। यदि हम विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी इसकी आड़ लेकर हम विपक्षीगण को हमारी भूमियों से बलपूर्वक बेदखल कर कब्जा कर लेगा जिससे हम विपक्षीगण अपनी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से महरूम हो जावेगें और हम विपक्षीगण के जायज हक अधिकारो पर भारी कुठाराघात होगा जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित होगा। इस तरह अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से हम विपक्षीगण को भारी अतुलनीय एवं परिमित क्षति एवं हानी होगी जबकि इसके विपरित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रार्थी को न तो कोई क्षति होगी और न ही कोई असुविधा होगी।

8. यहकि प्रार्थी को हम विपक्षीगण के विरूद्ध कोई प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 13.07.2020 को पैदा नही हुआ है। प्रार्थी ने मात्र मिथ्या प्रार्थना पत्र पेश करने की नियत से झूठा एवं मनगढन्त प्रार्थना पत्र कारण अंकन कर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो अन्ततः सव्यय खारिज होगा।

9. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

10. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा दोहराने बहस निवेदन किया कि उभय पक्ष को वादग्रस्त भूमि से मिट्टी का खनन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाता है तो उभय पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं हैं।

11. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं अन्य खातेदार के नाम दर्ज हैं। विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस से स्पष्ट है कि मौके पर विवाद वादग्रस्त भूमि से मिट्टी के खनन से है। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया था कि उभय पक्षों को मिट्टी खनन करने से रोका जाता है तो उन्हे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

कोई आपत्ति नहीं हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि मौके पर कब्जा किस पक्षकार का है उक्त बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किया जायेगा परन्तु कब्जे के आधार पर कोई भी पक्षकार/खातेदार/कब्जेदार भूमि से मिट्टी का खनन नहीं कर सकता हैं। यदि मौके पर कोई भी पक्षकार/खातेदार भूमि से मिट्टी का खनन करते है तो विवाद बढने की सम्भावना प्रतीत होती हैं साथ ही अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी। इसलिए उभय पक्षों को मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात से मिट्टी के खनन को रोकने हेतु पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को आंशिक स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम मोटीखेडी पटवार हल्का महुडा की जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 की खाता संख्या 33 पर दर्ज आराजी नम्बर 108, 109, 112, 134, 135, 136, 137, 1139/130, 1141/133 किता 9 रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा भूमि से मौके पर मिट्टी का खनन नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.10.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested